Shri Naveen Jain (Mayor)

ShriArunPrakash
(Municipal Commissioner)

Agra Nagar Nigam Near Sur Sadan, M.G.Road, Agra
E-Mail-amcagra1@gmail.com

अमृत योजना के अर्न्तगत सैप वर्ष 2017–20 आगरा के सौन्दर्यीकरण एवं ग्रीन स्पेस को बढ़ाने हेतु 10 पार्कों के निर्माण का कार्य प्रगति पर हैं। तथा सैप वर्ष 2015–16 व 2016–17 के अर्न्तगत पार्कों का कार्य पूर्ण कराया जा रहा हैं।

माह फरवरी 2019 में आगरा नगर निगम की आई.ई.सी. टीम ने इण्डिया राइजिंग के साथ मिलकर वॉल पेटिंग कर लोगों को स्वच्छता हेतु जागरूक किया गया।

आगरा नगर निगम की टीम द्वारा मार्च माह में अतिक्रमण के लिये की गयी कार्यवाही

हटाये गये अवैध अतिक्रमण का स्थल/स्थान

दिनांक 01.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार कमला नगर ब्लॉक C एंव क पर लगे हुये अवैध स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणो को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल के सहयोग से कर्नल ए0के0सिंह (रिटायर्ड) एंव अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे फुटपॉथ/सडक पर रखे हुये 18 अवैध खोखे हटाये/तोडते हुये रू0 16000 रूपये की धनराषि का शमन शुल्क/यूजर चार्जेज वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गया।

दिनांक 05.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार फतेहाबाद रोड पर टी.डी.आई मॉल, होटल रॉयल रेजीडेन्सी लवकुश, और बीकानेर वाला होटलो के सामने स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणो को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल, आर.आई श्री वैभव यादव के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजक्ट के तहत अवरूद्ध नाली के निर्माण कार्य को चालू करवाया।

दिनांक 08.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार नरायच टेडी बगिया मे सरकारी जमीन पर लगे अस्थायी भागवत पांडाल को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल, श्री विजय कुमार शर्मा (अमीन) के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे पांडाल वाले को चेतवानी दी की भविश्य मे इस प्रकार का कोई पांडाल बिना अनुमति के नही लगेगा और दोबारा ऐसा करता है तो उसे जेल भी हो सकती है साथ ही अवगत कराना है कि प्रर्वतन दल, के सहयोग से आर.आई 2 सपन सिंह की अगुवाई मे एन.आर.एल हुंडई वाले को टैक्स भरने के लिये चेतावनी दी गयी।

दिनांक 11.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार स्थायी/अस्थायी होर्डिंग्स बैनर पोस्टर को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल के सहयोग से तीन टीमो मे बॉट कर अलग अलग अभियान चलाया, जो इस प्रकार है-

टीम 1 ने लोहामण्डी, कोठी मीना बाजार मारूती स्टैट, भोगीपुरा चौराहा, रूई की मण्डी, तहसील सदर कलैक्ट्री और वापस नगर निगम तक क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 21 क्योसक (2½ x3) और 10 फ्लैंग हटायें गये।

टीम 2 ने सुरेशचन्द्र दिनेशचन्द्र रोड, सिकन्दरा थाना, आवास विकास सेक्टर (5.6.7.8), शास्त्रीपुरम जगदीशपुरा, मदिया कटरा, हरीपर्वत और वापस नगर निगम तक का क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 16 क्योसक (2½ x3) और 4 होर्डिंगंस (10x20) हटायें गये।

टीम 3 ने ईदगाह बस स्टैंड, कैन्ट चौराहा, कैण्ट रेल्वे स्टेशन, सुल्तानपुरा मेहर टॉकिज, बालूगंज, चीलघर, औलिया रोड छीपीटोला और वापस नगर निगम तक क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 7 फ्लैंग और एक होर्डिंग (10x20) हटाये गये।

दिनांक 12.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार स्थायी/अस्थायी होर्डिग्स बैनर पोस्टर को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल के सहयोग से तीन टीमो मे बॉट कर अलग अलग अभियान चलाया, जो इस प्रकार है-

टीम 1 ने बेलनगंज, घटिया, बिजलीघर, कमला नगर बल्केश्वर, टेडी बगीया, कालिन्दी बिहार एत्मादद्दौला और वापस नगर निगम तक क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 38 क्योसक (2½ x3) और 12 फ्लैंग 4 होर्डिंग (10x20), और 4 पोस्टर हटायें गये।

टीम 2 ने घटिया चौक, फुव्वारा चौराहा, हींग की मण्डी, सिन्धी बाजार, बिजलीघर चौराहा, बालूगंज, मधुनगर फूलबाग, रोहता, सेवला, गोकुलपुरा, ईदगाह बस स्टैण्ड, धनौली अर्जुन नगर, और वापस नगर निगम तक क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 5 क्योसक (2½ x3) और 6 फ्लैंग हटायें गये।

टीम 3 ने फुब्बारा चौक, किनारी बाजार, जौहरी बाजार, बिजलीघर, घटिया, हरियाली वाटिका, राजपुरा, कैरई, फतेहाबाद रोड, पुरानी मण्डी, जीवनी मण्डी, कलाल खेरिया, और वापस नगर निगम तक क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 8 क्योसक(2½ x3), 6 फ्लैंग और एक होर्डिंग (10x20) हटाये गये।

दिनांक 13.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल टीम, आर.आई वैभव यादव, अधोहस्ताक्षरी एंव सहायक नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में जी-10 ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस 2 मे एक अवैध टॉवर निर्माण को रोका और चेतावनी दी। साथ ही नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल के सहयोग से तीन टीमो मे बॉट कर अलग अलग अभियान चलाया, जो इस प्रकार है-

टीम 1 ने भगवान टॉकीज, दयालबाग, सिकन्दरा, बोदला, शास्त्रीपुरम, पश्चिमपुरी और वापस नगर निगम तक क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 08 क्योसक **(2½ x3)** और 06 फ्लैंग और 02 होर्डिंग **(10x20)** हटायें गये।

टीम 2 ने सुल्तानगंज पुलिया, कमला नगर, बल्केश्वर चौराहा, और वापस नगर निगम तक क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 02 क्योसक **(2½ x3)** और 09 फ्लैंग और 01 होर्डिंग (10x20) हटायें गये।

टीम 3 ने एम.जी.रोड, ताजमहल, सॉई का तकिया, सिविल लाईन, मदिया कटरा, लोहा मण्डी, शहीद नगर, टी.डी.आई मॉल, और वापस नगर निगम तक क्षेत्र का दौरा किया और इस अभियान के दौरान 03 फ्लैंग, 03 होर्डिंग **(10x20)** और 03 पोस्टर हटाये गये।

दिनांक 14.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार आज दिनांक 14.03.2019 को, नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल, अधिशासी अभियन्ता श्री आर.के.सिंह तथा सहायक नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में काबेरी बिहार, राजपुर चुंगी, क्षेत्र

मे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रोड का मापदण्ड कराया गया तथा वहॉ क्षेत्र मे लगे हुये अवैध निर्माण को हटाने की चेतावनी भी दी गयी। साथ ही अवगत कराना है कि फतेहाबाद रोड स्थित आशीष पैलेस, मार्बल आर्ट पैलेस को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नोटिस दिया गया।

दिनांक 16.03.2019:– जारी रोस्टर के अनुसार कमला नगर मे ब्लॉक C पर लगे हुये पान की दुकान को, जिसने की अवैध रूप से नाले व फुटपॉथ पर कब्जा कर उस पर पक्का निर्माण कर लिया था। अवैध दुकान को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल, आर.आई श्री वैभव यादव तथा अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे स्थानीय नागरिक द्वारा लगायी गयी पान की दुकान को ध्वस्त किया गया।

दिनांक 18.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार डिफैन्स स्टैट-2 देवरी रोड आगरा मे वहॉ के स्थानीय नागरिक द्वारा सडक पर किये गये अवैध अतिक्रमण/रैम्प को तोडने हेतु आगरा नगर निगम के प्रवर्तन दल, पुलिस बल, अवर अभियन्ता श्री पवन कुमार, आर.आई श्री वैभव यादव के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे स्थानीय नागरिक द्वारा सडक पर निर्मित की गयी अवैध रैम्प को ध्वस्त किया।

दिनांक 19.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार फतेहाबाद रोड पर फूल सैय्यद चौराहा से बसई सब्जी मण्डी तक अवैध स्थायी/अस्थायी, दुकाने एंव ठेलो को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल, एंव अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे फुटपॉथ पर अवैध ठेलो, पॉलीथीन कैरी बैग, थर्माकॉल, के इस्तेमाल पर रोक एंव कूडा जलाने/फैलाने आदि पर रोकथाम की चेतावनी दी गयी और बताया गया कि आज चेतावनी का अन्तिम दिन है अगली बार से सारा उक्त लिखित सामान जब्त कर आपसे अधिक शमन शुल्क/यूजर चार्जेज नगर निगम आगरा

द्वारा वसूला जायेगा और शासनादेश अनुसार पुलिस केस करके जेल भी भेजा जायेगा।

दिनांक 27.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार अनुमंत्रम कन्या कुलम न्यू आगरा मे वहाँ के स्थानीय नागरिक द्वारा सडक पर किये गये अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु आगरा नगर निगम के प्रवर्तन दल, अवर अभियन्ता श्री पी.एस निंरजन, श्री वीरेन्द्र चौधरी (पर्यवेक्षक), के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे स्थानीय नागरिक द्वारा सडक पर खुदाई एंव निमार्ण कार्य को रोका और भविष्य मे अवैध निर्माण कार्य नही करने की चेतावनी दी गयी।

दिनांक 28.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार आज सेंट पीटर्स स्कूल मे स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणो को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल, सहायक नगर आयुक्त महोदय, सहायक अभियन्ता श्री किशोरी सिंह के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे स्कूल के अन्दर अवैध रूप से बन्द पड़े नाले को खुलवाने हेतु नोटिस दिया गया।

दिनांक 28.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार आज नामनेर चौराहे पर हनुमान मन्दिर के सामने, स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणो को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल, एस.एफ.आई श्री विपिन कुमार, के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे स्थानीय दुकानादारो द्वारा अवैध रूप से सडक पर निर्मित की गयी 4 समरर्सिवल को तोडते हुये 1 समर्सिवल म-ीन जब्त की साथ ही रू0 71,100/-

की धनराशि का शमन शुल्क/यूजर चार्जेज वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गया।

दिनांक 30.03.2019:- जारी रोस्टर के अनुसार आज देहली गेट बाग फरजाना और दीवनी चौराहे पर स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणो को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल, सी.एस.एफ.आई श्री जितेन्द्र सिंह, के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे स्थानीय दुकानादारो द्वारा अवैध रूप से प्रयोग किये जा रहे पॉलीथीन कैरी बैग, थर्माकॉल, को जब्त किया और रू0 19,000/- की धनराशि का शमन शुल्क/यूजर चार्जेज वसूल कर नगर निगम आगरा कोश मे जमा कराया गया। साथ ही भविष्य मे पॉलीथीन कैरी बैग, थर्माकॉल आदि का प्रयोग न करने की चेतावनी भी दी।

दिनांक 30.03.2019:– जारी रोस्टर के अनुसार आज रूई की मण्डी आगरा मे वहॉ के स्थानीय नागरिक द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को तोडने हेतु आगरा नगर निगम के प्रवर्तन दल, पुलिस बल, जिला प्रशासन, अधिशासी अभियन्ता श्री आशीष कुमार सिंह (लोहामण्डी जोन), के सहयोग से सहायक नगर आयुक्त महोदय एंव अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अवैध रूप से निर्मित चबूतरे को ध्वस्त किया।

सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 को लागू किये जाने हेतु माह मार्च 2019 में बल्क वेस्ट जनरेटरों को कुल 1906 नोटिस (आर.डब्लू.ए., स्कूल, होटल, सरकारी कार्यालय आदि) को जारी किये गयें हैं।

<u>नोटिस</u>

महोदय,

कृपया अवगत हो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 जो कि दिनांक 08.04.2018 से प्रभावी हैं, के अनुसार प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट स्वामी एवं अन्य सभी बल्क वेस्ट जनरेटर का यह उत्तरदायित्व है कि उनके द्वारा कूड़े का वेस्ट का Segregation Source पर ही किया जाये और Biodegradable Waste (1. kitchen Waste including: tea leaves, Egg shells, fruits and vegetable peels, 2. Meat and bones, 3. Garden and leaf litter, including flowers, 4. Soiled Paper ,5. House dust after cleaning, 6. Coconut Shells, 7.Ashes) की Processing, Composting या Bio-methanation के माध्यम से अपने परिसर में ही किया जाये।

चूँकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के अनुसार Biodegradable Waste की Processing और processing से तैयार कम्पोस्ट इत्यदि का Re-use करना, Horticulture एवं गार्डन वेस्ट की composting और उसका use करना बल्क वेस्ट जनरेटर का उत्तरदायित्व होगा।

चूँकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा OA No. 199/2014, अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत गणराज्य एवं OA No. 281/2016, कुदरत सन्धू बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

चूँकि Biodegeradable Waste/ Wet Waste Non- Biodegradable/Dry/Recycalable Waste (1. News paper, 2. Paper, books and magazines, 3. Glass, 4. Metal objects and wire, 5. Plastic, 6. Cloth Rags, 7. Leather, 8. Rexene, 9. Wood/Furniture, 10. Polystyrene/Packaging material) का प्रथक-प्रथक भण्डारण एवं Non-Biodegeradable Waste का निस्तारण नगर निगम के माध्यम से कराया जाना प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटर का उत्तरदायित्व है।

चूँकि उपरोक्त नियमावाली/माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाना किसी बल्क वेस्ट जनरेटर की वैधानिक बाध्यता है और इसका उल्लंघन किये जाने की दशा में यह दण्डनीय अपराध है और उल्लंघन की दशा में नगर निगम, आगरा द्वारा आपके ऊपर एक बार उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

अतः एतद्द्वारा विधि में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों/आदेशों का अनुपालन 15 दिवस में करते हुये और Biodegradable Waste प्रोसेसिंग Natural अथवा Mechanized तरीके से करते हुये अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को 15 दिन में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

एतद्द्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त नगर निगम द्वारा आपके परिसर का भौतिक सत्यापन किया जायेगा और यदि उक्त का अनुपालन किया जाना नही पाया जाता है तो माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन का दोषी मानते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।